



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 27.02.2019

पिटकुल हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर पारित टैरिफ आदेश के : मुख्य बिन्दु

- पिटकुल द्वारा तृतीय नियन्त्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार योजना तथा बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर निर्धारण हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई। उक्त याचिका के साथ पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up) का अनुरोध भी किया गया है।
- तदनुसार आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश में निम्न अनुमोदन किये गये हैं :-
 1. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सहीकरण (truing up)।
 2. वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापार योजना का अनुमोदन।
 3. वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार का निर्धारण।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के सहीकरण (truing up) हेतु रू0 20.80 करोड़ की धनराशि का अधिशेष (Surplus) दर्शाया गया था, जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सहीकरण (truing up) हेतु कुल रू0 32.04 करोड़ का अधिशेष (Surplus) अनुमोदित किया गया है।
- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार तथा आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी प्रतिशत वृद्धि निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:-

तालिका : वार्षिक पारेषण प्रभार (ATC) (रू0 करोड़)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	
	टैरिफ आदेश में अनुमोदित	प्रस्तावित	अनुमोदित
पिटकुल (ATC)	275.89	404.90	287.06
विगत वर्षों का सहीकरण का प्रभाव	-83.43	-20.80	-32.04
कुल	192.46	384.10	255.01
गतवर्ष की तुलना में वृद्धि (%में)	-	99.6%	32.5%

- पिटकुल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तावित वार्षिक पारेषण प्रभार के अतिरिक्त याचिकाकर्ता द्वारा रू0 276.46 करोड़ की धनराशि लाभांश (Return on Equity)के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु प्रारम्भिक इक्विटी के तौर पर मांग की गयी थी। जिसके सापेक्ष आयोग द्वारा रू0 62.71 करोड़ की धनराशि इस हेतु अनुमोदित की गयी तथा इस धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तिम सहीकरण (Truing-up) हेतु समायोजित किया गया।
- याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में उत्तराखण्ड शासन को पॉवर डेवलपमेन्ट फण्ड अंशदान के रूप में रू0 246.67 करोड़ की धनराशि को लाभांश (Return on Equity) के रूप में प्रस्तावित की गयी थी। आयोग द्वारा इस हेतु कोई धनराशि अनुमोदित नहीं की गयी।
